

प्रेषक,

शिवकुमार सिंह,
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष
न्यायाधीश, पाक्सो एक्ट,
श्रावस्ती।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
श्रावस्ती।

विषय—

प्रार्थिनी सावित्री देवी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांकित 07.01.2020 जो कि विशेष वाद नं० 43/2016 मुकदमा अपराध संख्या 1234/2016 राज्य प्रति पतरकू में पारित निर्णय के उपरान्त प्रस्तुत किया गया है, पर मांगी गयी आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

- 1— ससम्मान निवेदन है कि विशेष वाद संख्या 43/2016 मुकदमा अपराध संख्या 1234/2016 थाना सिरसिया जनपद श्रावस्ती न्यायालय में पाक्सो एक्ट के साथ-साथ धारा 376,302,201 भा0द0स0 के तहत विचाराधीन था जो दिनांक 21.12.2019 को गुण दोष के आधार पर निर्णीत किया जा चुका है।
- 2— चूंकि मुकदमा पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित था और अभियुक्त निरन्तर जेल में निरुद्ध था। इस कारण इस मुकदमें की कार्यवाही यथासम्भव शीघ्र की गयी और इस मामले में कुल 7 गवाहों को परीक्षित कराने के उपरान्त उभय पक्षों की बहस विस्तार से सुनकर समस्त तथ्यों एवं साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुये पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अनुरूप निर्णय पारित किया जा चुका है।
- 3— प्रार्थिनी के द्वारा प्रार्थनापत्र, निर्णय दिनांकित 21.12.2019 से असंतुष्ट होकर प्रतिक्रिया स्वरूप निराधार एवं काल्पनिक तथा गलत तथ्यों के आधार पर, प्रस्तुत किया गया तथा न्यायालय पर जो भी आरोप लगाये गये हैं वह भी काल्पनिक निराधार एवं वेबुनियाम हैं तथा न्यायालय की गरिमा को कलंकित करने के आशय से लगाये गये हैं जिसमें लेशमात्र भी सत्यता नहीं है।
- 4— प्रार्थिनी के द्वारा अपने प्रार्थनापत्र के पैरा 1 में अभियोजन कथानक का उल्लेख किया गया है जो कि पत्रावली पर भी उपलब्ध है इस सम्बन्ध में किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

5- प्रार्थनापत्र के पैरा 2 में प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर आरोप पत्र प्रेषित करने तक के तथ्यों को उल्लिखित किया गया है इससे सम्बन्धित प्रपत्र पत्रावली पर उपलब्ध हैं इस सम्बन्ध में भी मुझे कोई अतिरिक्त तथ्य नहीं कहना है।

6- प्रार्थनापत्र के पैरा 3 में अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहों का विवरण दिया गया है यह भी पत्रावली पर है इस सम्बन्ध में भी कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

7- प्रार्थनापत्र के पैरा 3 में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त पत्रावली बहस हेतु दिनांक 10.12.2019 को नियत की गयी और दिनांक 10.12.2019 को बहस होकर पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 21.12.2019 को नियत की गयी जो यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्रार्थिनी को अभियोजन साक्ष्य पूर्ण होने की तिथि, पत्रावली में बहस हेतु नियत तिथि, बहस के उपरान्त निर्णय हेतु नियत तिथि के बारे में बखूबी जानकारी थी और उसी के मुताबिक पूर्व से निर्धारित तिथि दिनांक 21.12.2019 को न्यायालय में प्रातः 10.30 बजे अभियुक्त तथा उसके अधिवक्ता तथा शासकीय अधिवक्ता की मौजूदगी में निर्णय उद्घोषित किया गया। उसके पश्चात ही प्रार्थिनी ने दुर्भावना पूर्ण आशय से बैकडेट में लिखे प्रार्थनापत्र को निर्णय पारित होने के उपरान्त माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया और दिनांक 21.12.2019 को ही माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के द्वारा दोपहर 12.00 बजे के बाद उस प्रार्थनापत्र पर आदेश पारित किया गया जिसे मेरे न्यायालय में 1.00 बजे दिन में सम्बन्धित लिपिक को प्राप्त कराया गया जिस पर मेरे द्वारा 1.20 बजे समुचित आख्या माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को प्रेषित किया गया।

8- प्रार्थिनी के द्वारा अपने प्रार्थनापत्र के पैरा 4 एवं 5 में जो आरोप लगाये गये हैं। वह सर्वथा काल्पनिक एवं भ्रामक हैं। किसी भी मुकदमें में निर्णय आरोपित धाराओं के आधार पर नहीं बल्कि उन धाराओं के सापेक्ष साक्ष्यों के आधार पर पारित किये जाते हैं। और प्रश्नगत मामले में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के सापेक्ष ही निर्णय एवं निष्कर्ष प्रतिपादित किया गया है जिसके बावजूद अभियोजन अथवा प्रार्थिनी गुण दोष के आधार पर पारित निर्णय के विरुद्ध अपील न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने के लिये स्वच्छन्द हैं। अभियोजन द्वारा अपील दाखिल भी की जा रही

✓

है जो प्रक्रियाधीन है। ऐसी स्थिति में मेरे द्वारा गुण दोष के आधार पर तथा साक्ष्यों के अनुरूप पारित निर्णय पर पुनः कोई टिप्पणी किया जाना उचित नहीं है। प्रार्थनापत्र के पैरा 4 में अभियुक्त के पिता के द्वारा गांव में क्या कहा गया या फिर जमीन को क्यों बेचा गया इस सम्बन्ध में मुझे कोई जानकारी नहीं है, न हो सकती है। प्रार्थनापत्र के पैरा 4 के आखिरी भाग में उल्लिखित तथ्यों कि "दिनांक 20.12.2019 को जनपद न्यायाधीश, श्रावस्ती के न्यायालय में उपस्थित होकर उपरोक्त पत्रावली स्थानान्तरित किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र दिया।" यह तथ्य पूर्णतया असत्य है क्योंकि दिनांक 20.12.2019 को जनपद न्यायाधीश महोदय के न्यायालय अथवा कार्यालय में कोई भी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जाना नहीं पाया गया है। इस तथ्य की जानकारी माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के कार्यालय से ली जा सकती है।


प्रार्थिनी के द्वारा यह भी कहा जाना कि "श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय श्रावस्ती द्वारा दिनांक 20.12.2019 को ही 10.30 बजे उपरोक्त पत्रावली पर रिपोर्ट काल की गयी।" यह तथ्य भी सर्वथा गलत है क्योंकि जब दिनांक 20.12.2019 को माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के समक्ष कोई प्रार्थनापत्र ही प्रस्तुत नहीं किया गया था तो उस दिन माननीय महोदय द्वारा रिपोर्ट काल किये जाने का कथन भी असत्य है। वह प्रार्थनापत्र प्रार्थिनी द्वारा दिनांक 21.12.2019 को माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के समक्ष तब प्रस्तुत किया गया जब मेरे न्यायालय में अभियुक्त, ए,डी,जी,सी. किमनल , एमिक्स क्यूरी एवं अधिवक्ताओं की मौजूदगी में निर्णय खुले न्यायालय में प्रातः 10.30 बजे उद्घोषित किया जा चुका था। प्रार्थिनी ने लगभग 12.00 बजे प्रार्थना पत्र माननीय जनपद न्यायाधीश के समक्ष न्यायालय में प्रस्तुत किया था। उसके पश्चात ही प्रार्थिनी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर दिनांक 21.12.2019 को माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के द्वारा आदेश पारित किया गया था और उस आदेश की प्रति मेरे न्यायालय में 1.00 बजे दिन में प्राप्त करायी गयी थी। चूंकि माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के द्वारा पारित आदेश की प्रति मेरे द्वारा प्रातः 10.30 बजे निर्णय उद्घोषित किये जाने के उपरान्त प्राप्त कराया जाना पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में पैरा 4 के आखिरी पंक्तियों में लगाये गये आरोप पूर्णतया निराधार एवं बेबुनियाद एवं मौजूद तथ्यों के विपरीत हैं।

9- उपरोक्त सभस्त तथ्यों के आलोक में प्राथिनी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र गुण दोष के आधार पर निर्णीत निर्णय के उपरान्त उत्पन्न कोष के अतिरेक में प्रतिक्रिया स्वरूप गलत, काल्पनिक एवं निराधार तथ्यों के आधार पर माननीय महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अभियोजन की ओर से उक्त गुण दोष के आधार पर पारित निर्णय के विरुद्ध अपील दाखिल किये जाने की कार्यवाही अग्रसार है।

आख्या माननीय महोदय की सेवा में सादर प्रस्तुत है।

दिनांक 17.01.2020

भवदीय


शिवकुमार सिंह, 17/01/2020
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष
न्यायाधीश, पाक्सो एक्ट,
भ्रावस्ती।

Sro.
Recd C/M
LJ
17/01/2020
dr. 2.5/20